भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 492
दिनांक 03.02.2026 को उत्तरार्थ

ईग्रामस्वराज-जेम पोर्टल

492. डॉ. आनन्द कुमार :

क्या **पंचायती राज मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ईग्रामस्वराज और जेम पोर्टल को एकीकृत करने के बावजूद देश की अधिकतर ग्राम पंचायतों में स्थानीय विक्रेताओं, महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की सहभागिता अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंची है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक जेम प्लेटफॉर्म पर कितने एसएचजी या ग्रामीण विक्रेता पंजीकृत हैं और उनमें से कितनों को ग्राम पंचायतों से बास्तव में खरीद ऑर्डर मिले हैं;

(ग) क्या सरकार का जेम पोर्टल पर ऐसी स्थानीय संस्थाओं के लिए एक अलग पहचान, सरल पंजीकरण प्रक्रिया और तकनीकी सहायता सुविधाएँ देने का विचार है;

(घ) क्या ग्राम पंचायत की खरीद का न्यूनतम भाग महिला समूहों और स्थानीय उत्पादकों को दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुद्दढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पंचायत-जेम फ्रेमवर्क में परिवर्तन करने का विचार है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा पारदर्शी, कुशल और नियम-आधारित क्रय को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के साथ एकीकृत किया है, और यह एकीकरण पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए सरकारी खरीद हेतु एक सक्षम डिजिटल ढांचा प्रदान करता है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, दिनांक 28.01.2026 तक कुल 117 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और 3,784 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को जेम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इन कंपनियों ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न खरीदारों से क्रमशः ₹ 6.31 करोड़ और ₹ 0.39 करोड़ के खरीद आदेश पूरे किए हैं; हालांकि, अभी तक इन कंपनियों के लिए ग्राम पंचायतों से कोई खरीद आदेश सूचित नहीं किया गया है। इसके अलावा, स्थानीय इकाइयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई सुगम उपाय प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें एफपीओ और एसएचजी के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित ऑनलाइन #वोकलफॉरलोकल एफपीओ और सरस स्टोर्स के निर्माण, नियमित मार्गदर्शन और ऑनबोर्डिंग सत्र तथा एकीकृत 'आधार' और 'पैन' के साथ एक सरलीकृत, कागज रहित पंजीकरण प्रक्रिया शामिल है। यह प्लेटफ़ॉर्म स्थानीय इकाइयों सहित विक्रेताओं के लिए बहुभाषी इंटरफ़ेस, निर्देशित ऑनबोर्डिंग कार्यप्रवाह और हेल्पडेस्क सहायता भी प्रदान करता है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ई-ग्रामस्वराज-जेम अपनाने की स्थिति की निगरानी करता है। ग्राम पंचायतों द्वारा की जाने वाली खरीद संबंधित राज्य पंचायत अधिनियमों, लागू वित्तीय नियमों तथा खरीद संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। पंचायत द्वारा किए जाने वाले क्रय में पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी और उचित पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है।

*****